न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

विविध प्रकरण सं. 19/2025

प्रार्थीगण–

1.1	श्री विशाल सक्सेना पुत्र स्व0 श्री रघुवंश चन्द्र निवासी Emaar Emerald Floors Premier Tower 35 Flat No. 402 Sector 65 Gurgoan Haryana-120011	**–भावी दत्तक माता–पिता**
1.2	श्रीमती उर्वशी वर्मा पत्नी श्री विशाल सक्सेना निवासी Emaar Emerald Floors Premier Tower 35 Flat No. 402 Sector 65 Gurgoan Haryana-120011	
2.	अधीक्षक, राजकीय शिशु गृह एवं दत्तक ग्रहण स्थापन एजेन्सी, बाल अधिकारिता विभाग, बाड़मेर	**–दत्तकग्रहण स्थापन एजेन्सी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 58 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 वास्ते अनाथ अथवा परित्यक्त अथवा अभ्यर्पित बालिका (मयुरी) का देश के भीतर दत्तकग्रहण ।

आदेश

दिनांक : 03.03.2025

1. प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 58 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 वास्ते अनाथ अथवा परित्यक्त अथवा अभ्यर्पित **बालिका (मयुरी)** का देश के भीतर दत्तकग्रहण पेश किया गया। प्रार्थीगण सं. 1 द्वारा अनुसूची–8 में दत्तकग्रहण पूर्व पोषण वचनबद्धता का शपथ–पत्र एवं प्रार्थी सं. 2 द्वारा अनुसूची–XXIII में इस प्रार्थना–पत्र के तथ्यों एवं दत्तकग्रहण के समर्थन में नोटेरी से तस्दीकशुदा शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं।

2. प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रार्थी सं. 2 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 65 के अधीन राज्य सरकार से किशोर न्याय अधिनियम और दत्तकग्रहण विनियमों के उपबंधों के अनुसार अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों के दत्तकग्रहण के माध्यम से पुनर्वास के लिये मान्यताप्राप्त दत्तकग्रहण एजेन्सी है। प्रार्थीगण सं. 1 भावी दत्तक माता–पिता हैं जिनके द्वारा बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) पर ऑनलाईन आवेदन किये जाने पर आवेदक का रजिस्ट्रेशन सं. **PrHa196338434** पर किया गया। उक्त प्रार्थीगण सं. 1 की दत्तकग्रहण बाबत उनकी पात्रता एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन इस बाबत मान्यता प्राप्त **Mr. Giriraj (MSW) Adoption Officer Miracle Charitable**

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:09:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर

Society,Faridabad द्वारा किया जाकर अनुसूची–VII में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं। इस दत्तकग्रहण में दत्तक के रूप में दिये जाने वाली **बालिका (मयुरी)** को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 38 के अधीन बाल कल्याण समिति बाड़मेर द्वारा आदेश क्रमांक **75** दिनांक **24.01.2025** के द्वारा दत्तकग्रहण के लिये वैध रूप से स्वतंत्र घोषित किया गया है, जिसका विस्तृत अभिकथन अनुसूची–1 में वर्णित किया गया हैं।

3. प्रार्थीगण सं. 1 को केयरिंग्स द्वारा उक्त बालिका **मयुरी** को दत्तक हेतु नामांकित किये जाने पर बालिका का चिकित्सा जांच एवं परीक्षण करवाया जाकर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी शिशुगृह, बाल अधिकारिता विभाग, बाड़मेर द्वारा परिशिष्ठ–III में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें किसी प्रकार की प्रतिकूल अवस्था को नहीं दर्शाया गया हैं। उक्त बालिका को विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण/बालक देखरेख संस्था राजकीय शिशु गृह एवं दत्तक ग्रहण स्थापन एजेन्सी, बाल अधिकारिता विभाग, बाड़मेर में दिनांक **23.11.2024** को प्रविष्ट किया गया हैं। प्रार्थीगण सं. 1 दत्तक आवेदक दम्पति को केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) दिल्ली के द्वारा **बालिका (मयुरी)** की जन्म दिनांक **21.11.2024** को ऑनलाईन मिलान कराने के उपरांत दत्तक ग्रहण समिति बाड़मेर की बैठक दिनांक **24.02.2025** में लिये गये निर्णय अनुसार प्रार्थी सं. 2 द्वारा अपने आदेश क्रमांक **54** दिनांक **24.02.2025** द्वारा बालिका को दत्तक पूर्व फोस्टर केयर में 03 माह की अवधि के लिये दिया गया हैं।

4. प्रार्थीगण द्वारा संयुक्त रूप से उपस्थित होकर यह प्रार्थना–पत्र किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 58 के तहत प्रस्तुत कर उक्त **बालिका (मयुरी)** को भावी माता–पिता को दत्तकग्रहण में देने तथा विधि द्वारा अनुज्ञेय सभी प्रयोजनों के लिये उन्हे माता–पिता घोषित करने के साथ–साथ जन्म प्रमाण–पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को विनियम 40 के उपबन्धों के अनुसार बालिका का जन्म प्रमाण–पत्र जारी करने के निर्देश जारी करने हेतु निवेदन किया गया हैं।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

5. हमने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 57 में यथा उल्लेखित भावी माता पिता की पात्रता के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध दस्तावेजों एवं गृह अध्ययन रिपोर्ट अनुसूची [illegible] का अवलोकन करने से पाया जाता हैं कि प्रार्थीगण सं. 1 आवेदित [illegible]ण हेतु सक्षम हैं तथा दत्तक में दी जाने वाली **बालिका** [illegible] व संरक्षण करने की जिम्मेदारी का निर्वहन भली–भांति कर सकते [illegible]सी आशय की वचनबद्धता का शपथ–पत्र अनुसूची–8 में नोटेरी से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत किया गया हैं। दत्तकग्रहण हेतु भावी माता–पिता की चिकित्सा जांच Dr. Anish Kr.Choudhary MD (Physician) Reg. No. 68363 Delhi Medical Council द्वारा की जाकर अपनी रिपोर्ट में किसी प्रकार के दीर्घ अवधि के असाध्य रोग से ग्रसित नहीं होना

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:09:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

उल्लेखित किया गया हैं। इसी क्रम में प्रार्थीगण सं. 1 के व्यक्तिगत जीवन आचरण एवं व्यवहार की पुष्टि हेतु स्वतंत्र गवाह के रूप में श्री विनोद कुमार पुत्र श्री राम दुलारे निवासी हारूनी स्टेशन, ऐन, लखनउ उतरप्रदेश 226009 एवं श्री रवि कुमार माली पुत्र श्री खेताराम माली निवासी पूनम नगर, माली बानकानिया की ढाणी, बाड़मेर आगौर, जिला बाड़मेर राजस्थान 344001 द्वारा संदर्भ हेतु वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। बाल कल्याण समिति, बाड़मेर द्वारा अपने आदेश क्रमांक **75** दिनांक **24.01.2025** द्वारा दत्तक में दिये जाने हेतु **बालिका (मयुरी)** को दत्तकग्रहण के लिये वैध रूप से स्वतंत्र घोषित किया गया हैं। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा अनुसूची–XXIII में इस प्रार्थना–पत्र के एवं तथ्यों दत्तकग्रहण के समर्थन में नोटेरी से तस्दीकशुदा शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं।

6. प्रकरण में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 58, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2016 के अध्याय–7 एवं दत्तकग्रहण विनियम, 2017 के अनुच्छेद–12 में यथा प्राविधित प्रार्थीगण सं. 1 की पात्रता की पूर्ण जांच एवं प्रार्थी सं. 2 द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से इस बात की पूर्ण संतुष्टि हैं कि दत्तकग्रहण के लिये वैध रूप से स्वतंत्र घोषित **बालिका (मयुरी)** जिसका भावी माता–पिता द्वारा रखा गया नया नाम **शिविका सक्सेना** को प्रार्थी सं. 1 को दत्तक के रूप में दिया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर बाल कल्याण समिति बाड़मेर के आदेश क्रमांक **75** दिनांक **24.01.2025** द्वारा दत्तकग्रहण के लिये वैध रूप से स्वतंत्र घोषित बालिका **मयुरी** जिसका भावी माता–पिता द्वारा रखा गया नया नाम **शिविका सक्सेना** को प्रार्थीगण सं. 1 श्री विशाल सक्सेना पुत्र स्व0 श्री रघुवंश चन्द्र निवासी Emaar Emerald Floors Premier Tower 35 Flat No. 402 Sector 65 Gurgoan Haryana-120011 एवं श्रीमती उर्वशी वर्मा पत्नी विशाल सक्सेना निवासी Emaar Emerald Floors Premier Tower 35 Flat No. 402 Sector 65 Gurgoan Haryana-120011 को दत्तक के रूप में दिये जाने का आदेश दिया जाता हैं। प्रार्थी सं. 2 को निर्देशित किया जाता हैं कि इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर प्रार्थीगण सं. 1 को सुपुर्द कर पावती प्रस्तुत करें तथा दत्तक में दी गई बालिका के सम्बन्ध में विनियम के अनुच्छेद–13 में यथा प्राविधित समय–समय पर प्रार्थीगण सं. 1 के गृह अध्ययन की रिपोर्ट निर्धारित प्ररूप में प्राप्त करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस दत्तकग्रहण आदेश की एक प्रति दत्तक **बालिका (मयुरी)** नया नाम **शिविका सक्सेना** का विनियम 40 के उपबन्धों के अनुसार जन्म पंजीकरण हेतु एक प्रमाणित प्रति आयुक्त नगर परिषद बाड़मेर को प्रेषित हों।

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:09:28 IST
Reason: SelfAttested

(टीना डाबी)
जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर